कलेक्टर श्रीमती पटले ने धान उपार्जन एवं खाद वितरण केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

कलेक्टर ने शुक्रवार को सिवनी विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र बंडोल एवं बहु उद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति बांकी उपार्जन केंद्र एवं खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया।

सिवनी (स्वतंत्रमत)

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती पटले ने धान की आवक, तुलाई की गति, बारदाना उपलब्धता, भंडारण और परिवहन व्यवस्था का अवलोकन किया। मानक ग्रेडिंग अनुरूप ही धान का उपार्जन करने के दिशा निर्देश उपस्थित संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों से

संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनीं तथा उपार्जन कार्य को पारदर्शी एवं समयबद्ध रखने के निर्देश दिए उपस्थित कर्मचारियों को दिए।

कलेक्टर श्रीमती पटले ने खाद वितरण केंद्र में उर्वरकों की उपलब्धता का भी अवलोकन किया। उन्होंने वितरण पंजी, किसानों को दिए जा रहे खाद की मात्रा तथा स्टॉक पंजी की जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों मांग अनुसार खाद का वितरण पूर्ण पारदर्शिता से किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती पटले ने उपार्जन व वितरण कार्यों में तेजी लाने तथा उपार्जन व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उप संचालक कृषि श्री एस एस धुर्वे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अच्छी खबरः सुकतरा लखनादौन के बीच 14 ब्लैक स्पाटों पर बनेंगे व्हीकुलर अंडरपास

पूर्व सांसद डां. बिसेन के प्रयासों से 605 करोड़ की सड़क सुरक्षा योजना को मिली रफ्तार

सिवनी (स्वतंत्रमत)

राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 44 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए सुकतरा से लखनादौन के बीच चिन्हित किये गये 14 ब्लैक स्पाटो पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा व्हीकुलर अंडरपास व्हीयूपी निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अंडरपास बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इन व्हीकुलर अंडरपास, के लिये 605 करोड़ रूपये भी स्वीकृत कर दिये गये है। लखनादौन से खवासा के बीच स्वीकृत किये गये इन अंडरपासों के लिये पूर्व सांसद डां. ढालसिंह बिसेन द्वारा विगत कई माहों से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पत्राचार किया जा रहा था तथा पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से भेंट कर इस संबंध में उन्हें स्मरण पत्र भी सौंपा गया था ।

पूर्व सांसद डां. बिसेन द्वारा किये प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एनएच -44 के मढ़ई, गणेशगंज, घुनई, छपारा, छपारा कला, सादक सिवनी, बंडोल, गोरखपुर चौराहा, राहीवाड़ा, भोंगाखेड़ा, नागझर बायपास तिराहा, सीलादेही, गोपालगंज और सुकतरा के संभावित दुर्घटना स्थलों पर व्हीकुलर अंडरपास के लिये 605 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा मढ़ई, गोरखपुर चौराहा और नागझर बायपास तिराहा पर अंडरपास निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित होकर आवंटित किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की स्थिति में है। शेष 11 स्थानों के टेंडर एनएचएआई मुख्यालय स्तर से आमंत्रित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। पूर्व सांसद डां. बिसेन ने इन सभी स्वीकृति के लिये नरेद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है।

समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को माह की 01 तारीख को होगा वेतन का भुगतान

सिवनी (स्वतंत्रमत)

आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेशानुसार आईएफएमआईएस के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग प्रणाली विकसित की गई है। जिससे समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। निर्देशों के अनुसार माह की 19 तारीख तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को देय भत्तों एवं की जाने वाली कटौतियों की प्रविष्टि सिस्टम में की जाना आवश्यक है। जिन महीनों में कर्मचारियों को वेतनवृद्धि देय होती है, उन महीनों में संबंधित कार्यालय द्वारा समय पर वेतनवृद्धि की प्रविष्टि सुनिश्चित की जानी होगी। किसी कर्मचारी के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में कर्मचारी की अनुपस्थिति अथवा स्टॉप सैलरी ऑर्डर सिस्टम में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता देय है, तो माह की 19 तारीख तक संबंधित कर्मचारी का आदेश सिस्टम में क्रियेट किया जाना होगा। वेतन देयक में अनिवार्य कटौतियां जैसे जीपीएफ, आयकर, प्रोफेशनल टैक्स आदि की प्रविष्टि भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित न होने की स्थिति में वेतन भुगतान में होने वाले विलंब के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं डीडीओ उत्तरदायी होंगे।

रेलवे ने बदला तत्काल टिकट बुकिंग का नियम, अब टिकट बुकिंग के लिए देना होगा ओटीपी

सिवनी (स्वतंत्रमत)

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने एवं तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। यह सुविधा गुरुवार से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने 6 ट्रेनों के लिए पीआरएस काउंटरों पर प्रभावी होगी।

ओटीपी आधारित इस व्यवस्था के अंतर्गत तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने के पश्चात ही टिकट बुक किया जा सकेगा। इससे फर्जी बुकिंग, बॉट्स के दुरुपयोग एवं अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा एवं वास्तविक यात्रियों को अधिक लाभ मिलेगा।

रेल यात्रियों के लिए तत्काल टिकट व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आरक्षण

काउंटरों पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली शुरू की जा रही है। यह व्यवस्था अगले कुछ दिनों में सभी स्टेशनों पर लागू हो जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान होगी और उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें तत्काल टिकट पाने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अब ओटीपी के नियम से यात्री पहले की तरह आरक्षण फार्म भरकर टिकट काउंटर पर देगा। फार्म में अपने मोबाइल नंबर को सही-सही दर्ज करना होगा। काउंटर पर जानकारी दर्ज होने के बाद यात्री के मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। काउंटर कर्मचारी उस ओटीपी को सिस्टम में दर्ज करेगा। केवल सही ओटीपी मिलने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है।

फर्जी टिकट पर लगेगी रोक

इससे फर्जी नंबर देकर टिकट लेने या तत्काल कोटा ब्लाक करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि असली यात्री को तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बिचौलियों और फर्जी आईडी के सहारे टिकट लेने वालों पर नकेल कसेगी। काउंटर पर टिकट लेने की प्रक्रिया भी अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी। यात्री को अपने मोबाइल पर तुरंत यह भरोसा भी मिल जाएगा कि टिकट वास्तविक सत्यापन के बाद जारी हुआ है।

पातालकोट एवं पेंचवैली एक्सप्रेस में नियम लागू

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सिवनी होकर गुजरने वाली पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पेंचवैली एक्सप्रेस में यह नियम लागू किया है। यानी अगर आपको रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंचकर तत्काल इन दोनों ट्रेन में तत्काल टिकट लेते हैं तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को बताना होगा। इसके बाद ही आपका रिजर्वेशन हो सकेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पातालकोट एवं पेंचवैली के अलावा अमरकंटक एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस एवं ऑबेकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस में भी ओटीपी नियम लागू किया है। रेलवे प्रशासन द्वारा इसके लिए सभी मंडलों को निर्देशित किया गया है. कि इस नई व्यवस्था की तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि पीआरएस काउंटरों से तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पर्यटन स्थल पायली पर विशेष आवरण एवं विरुपण मुहर का अनावरण

सिवनी (स्वतंत्रमत)

अधीक्षक डाकघर, बालाघाट संभाग बालाघाट ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा सिवनी जिले में गत 19.12.2025 को पर्यटन स्थल पायली पर विशेष आवरण एवं विरुपण अनावरण कार्यक्रम अधीक्षक डाकघर बालाघाट संभाग बालाघाट वाय.एल धनेन्द्र की अध्यक्षता में प्रधानडाकघर सिवनी में संपन्न किया जा रहा है। इस आवरण के अग्र भाग में नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध के जलाशय क्षेत्र का विहंगम दृश्य का चित्र लिया गया है एवं पिछले भाग में इसके बारे में संक्षिप्त लेख है।

नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध का जलाशय क्षेत्र, सिवनी जिले के पायली नामक एक स्थान पर अत्यंत ही मनोहारी प्राकृतिक विहंगम दृश्य का निर्माण करता है। पायली में स्थित विशाल झील

और इसके कुछ टापू समुद्र की तरह प्रतीत होते है। पायली में ब्रिटिश शासनकाल में बना हुआ एक ऐतिहासिक विश्राम गृह आज भी विद्यमान है जो क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाता है।

पर्यटन स्थल पायली सिवनी जिले का पहला ऐसा पर्यटन स्थल है जिस पर सिवनी जिलें में पहली बार विशेष आवरण विरुपण मुहर द्वारा विरुपित कर जारी किया गया है। यह क्षण सिवनी जिले के नागरिकों के लिये विशेष महत्व का है। जिसे आज हम विशेष आवरण एवं विरुपण मुहर के रुप में सजोएंगे। यह विशेष आवरण सीमित संख्या में छापे गए है। आज के बाद इस अवसर पर पुनः विशेष आवरण जारी नही किया जा सकेगा। यह विशेष आवरण प्रधानडाकघर सिवनी में विशेष विरुपण मुहरदिनांक 19.12.2025 से विरुपण के पश्चात विक्रय हेतु प्रधानडाकघर सिवनी व बालाघाट के काउंटर पर उपलब्ध हो जायेंगे। अतः फिलाटेली में रुचि रखने वाले लोग जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक कर लेवे। एक विशेष आवरण का मूल्य डाक टिकट सहित 25 रुपये है। कार्यकम में सहायक अधीक्षक डाकघर बालाघाट संभागीय कार्यालय जी.आर. चौधरी, प्रभारी सहायक अधीक्षक डाकघर सिवनी दक्षिण उपसंभाग श्री मुकेश सोनी, डाकपाल प्रधानडाकघर सिवनी आर. एन. उपाध्याय, सहायक प्रधानडाकपाल पी. एन. राउत, कार्यालय सहायक सत्येन्द्र इड़पाचे एवं अन्य डाक कर्मचारी व नागरिकगण उपस्थित रहें।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की बैठक मे हाईकोर्ट जज सहित देशभर के न्यायिक व मानवाधिकार पदाधिकारी हुए शामिल

बरघाट। विगत दिवस बनारस के चंदौली जिले मे आयोजित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक मे इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज माननीय शेखर कुमार यादव, चंदौली के जिला जज दिवाकर कुमार चतुर्वेदी, रेलवे के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय अरुण कुमार गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश सिंह तोमर, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भार्गव ,राष्ट्रीय महिला प्रमुख डॉ मधु सिंह चौहान, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की डायरेक्टर सुषमा सिंह , साथ मे आये छिंदवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष प्रशांत नायक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव नागवंशी, सिवनी जिले के जिला संयोजक ध्रुवनारायण चौधरी, अधिवक्ता नवीन नागभिरे, उज्जैन जिलाध्यक्ष रामचरण शर्मा, जिला महामन्त्री दयानंद शर्मा साथ मे समस्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो से आये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिला चिकित्सालय की जनहित समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मिले असलम बाबा

सिवनी (स्वतंत्रमत)

दिनांक 19.12.2025 को जिला कलेक्टर शीतला पटले जी से कौमी एकता कमेटी अध्यक्ष असलम बाबा ने मुलाकात की और संगठन के पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया की जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी (रात कालीन) के लिए डॉक्टरों की कमी बनी हुई है जो अत्यंत गंभीर है जिले भर से मरीजों का अधिक मात्रा में जिला चिकित्सालय आना होता है। काफी समय से डॉक्टरों की कमी बनी हुई है।

असलम बाबा ने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि जल्द से जल्द डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए जिससे मरीजों को समय पर जिला चिकित्सालय में इलाज मिल सके। जिला कलेक्टर महोदय ने गंभीरता पूर्वक असलम बाबा के

निवेदन को सुना और जल्द से जल्द इस कार्य को करने के लिए आश्वासन दिया साथ ही जिला चिकित्सालय की अन्य समस्याओं को भी जिला कलेक्टर के समक्ष असलम बाबा ने रखा जिसे ध्यानपूर्वक जिला कलेक्टर महोदय ने सुना।

सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत हुआ प्रतियोगिता का आयोजन

सिवनी (स्वतंत्रमत)

जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सिवनी द्वारा बताया गया कि सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत लोकसभा बालाघाट-सिवनी की लोकसभा स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 17 दिसम्बर को विकासखंड बरघाट, जिला सिवनी में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सांसद व पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. ढॉलसिंह बिसेन सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में बालिका और पुरुष वर्ग के विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले हुए, जिनमें बरघाट और सिवनी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बालिका वर्ग में 45 किग्रा में कुमकुम (बरघाट), 50 किग्रा में गुलाबवती (सिवनी), 53 किग्रा में प्रतिज्ञा (बरघाट), 57 किग्रा में शीतल (बरघाट), 62 किग्रा में आशा नारबोदे (बालाघाट) तथा 72 किग्रा में माही परते (परसवाड़ा) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में 45 किग्रा में योगेश कुतराहे (परसवाड़ा), 50 किग्रा में सतीष नागवंशी (बालाघाट), 57 किग्रा में चैन कुमार उइके (सिवनी), 61 किग्रा में करन काकोड़िया (सिवनी), 65 किग्रा में संत कुमार सैय्याम (सिवनी), 70 किग्रा में शिव शंकर कावरे (सिवनी), 74 किग्रा में योगेश बिसेन (बरघाट), 86 किग्रा में खुशहाल चंद्रहास (सिवनी) और 92 किग्रा में आशीष नगपुर (बालाघाट) विजेता रहे। 92 किग्रा से अधिक भार वर्ग में नियाज खान को विजयी घोषित किया गया।

आयोजन में नगर पालिका परिषद बरघाट, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग का सहयोग रहा। मुख्य निर्णायक आसिफ पहलवान, प्रकाश पहलवान और घनश्याम सोनवाने रहे। मंच संचालन संदीप मिश्रा ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी मनु धुर्वे ने किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को 23 दिसम्बर 2025 को सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर मुलना स्टेडियम, बालाघाट में सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को सिवनी से प्रातः 8 बजे विशेष बस द्वारा बालाघाट ले जाया जाएगा।

बीएड प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिजकोर्स अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसम्बर तक

सिवनी। सहयक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिवनी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त सभी प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस के 6 माह के ब्रिजकोर्स में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन 24 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2025 तक एनआईओएस पोर्टल पर किया जा सकेगा।

कृषि विज्ञान केंद्र, सिवनी के वैज्ञानिकों की सलाह

शीत लहर एवं पाले से सर्दी के मौसम में सभी फसलों को नुकसान से बचाने हेतु किसान तैयार रहें

सिवनी (स्वतंत्रमत)

कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ शेखर सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शीत ऋतु के शुरू होते ही खेती में हमारे किसान भाइयों के सामने एक समस्या ठंड के कारण आती है जिसे पाला या मावठा कहते हैं कडक सर्दी के कारण फसलों पर पाला पडने की आशंका बहुत तेजी से बढ जाती है जिससे रबी की फसलों में काफी नुकसान होता है किसान भाइयों को चाहिए कि पहले से किसी भी तरह अपनी आलू, अरहर, चना, गेहूं, सरसों, तोरिया, मटर आदि फसलों को बचाव, इसके अलावा सब्जीवर्गीय व फलदार वृक्षों का भी पहले से बचाव करना अति महत्वपूर्ण है।

पाले के कारण फसलों को नुकसान

पाले के कारण प्रभावित पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पानी में सर्वप्रथम अंतर कोशिकीय स्थान निर्जलीकरण की अवस्था बन जाती है दूसरी और अंतर कोशिकीय स्थान में उपस्थित जल जमकर आयतन बढने से आसपास की कोशिकाओं में दबाव पडता है पौधों की कोशिकाओं में मौजूदा पानी जमने लगते हैं. दबाव अधिक होने पर कोशिका की भित्ति फट जाती है. जिससे पौधों की पत्तियां, कोंपलें, फूल, फल सब धीरे-धीरे सूखने लगते हैं. इस

पाले में पहले से कैसे करें फसलों की बेहतर सुरक्षा

प्रकार फसलों की कोमल टहनियां पाले से नष्ट हो जाती है. पाले का अधिक असर फूलों और पत्तियों पर ही पडता है. पाले के असर से फल सिकुडने लगते हैं. फलों के बालियों में दाने नहीं बनते हैं. पाले से प्रभावित फसलों का हरा रंग समाप्त हो जाता है और पौधों का रंग सफेद सा दिखने लगता है. जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है।

पाला पडने के क्या लक्षण होते हैं

प्राय पाला दिसंबर के अंतिम सप्ताह से 10 जनवरी की बीच में ही आशंका अधिक होती है फसलों में तब पाला पडता है, जब सर्दी के मौसम में दोपहर के पहले ठंडी हवा चल रही हो और हवा का तापमान बिल्कुल कम होने लग जाए, जब आसमान साफ हो और दोपहर के बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए तब फसलों में पाला पडने की संभावनाएं तेजी से बढ जाती है. ऐसे में फसलों को पाला से बचाना जरूरी होती है।

दिन के समय सूर्य की गर्मी में पृथ्वी गर्म हो जाती है तथा पृथ्वी में यह गर्मी विकिरण द्वारा वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है इसलिए रात्रि में जमीन का तापमान गिर जाता है क्योंकि पृथ्वी को गर्मी तो नहीं मिलती और इसके बावजूद मौजूद गर्मी विकिरण द्वारा नष्ट हो जाती है तापमान कई बार जीरो डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाता है ऐसी अवस्था में ओस की बूंद जम जाती हैं इस अवस्था को हम पाला कहते हैं।

पाले से फसलों को कैसे बचाएं

जब वायुमंडल का तापमान में लगातार गिरावट आने लगे और तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब फसलों में पाला पडता है. इसलिए पहले से बचने के लिए किसी भी तरीके से वायुमंडल के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनाए रखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसा करने के लिए फसलों को पाले से बचाने के लिए कुछ सुरक्षात्मक एवं परंपरागत और रासायनिक तरीकों को अपनाकर किसान अपनी फसलों में पाला लगने से बचा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सुरक्षात्मक एवं परंपरागत उपाय के रूप में जिस रात पाला पडने की संभावना हो, उस रात 12 से 2 बजे के आस-पास खेत को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए कूड़ा-कचरा, घास-फूस जलाकर धुआं करना चाहिए। इससे काफी हद तक फसलों में पाला का प्रभाव कम हो जाता है। पाला पडते की संभावना हो तब खेत में सिंचाई करनी चाहिए। नमी युक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती है और भूमि का तापमान कम नहीं होता है, 0.5 से 2.0 डिग्री तक तापमान बढ़ जाता है। पौधों को पुआल या पॉलीथीन शीट से ढँक दें ध्यान रहे पौधों का दक्षिण-पूर्वी भाग खुला रहे। पालें में सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है नर्सरी के पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ जाता है परिणाम स्वरूप नर्सरी के पौधों के आसपास का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे पाले से बच जाते हैं ग्रामीण स्तर पर किसान भाई गांव में पुआल का उपयोग पौधों को ढकने के लिए कर सकते हैं पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है कि पौधों को दक्षिण - पूर्वी भाग खुला रहे ताकि पौधों को सुबह व दोपहर को धूप मिलती रहे पुआल का प्रयोग दिसंबर से फरवरी तक करना चाहिए। वायुरोधक द्वारा पाले से बचाव-पहले से बचाव हेतु खेत के चारों ओर मेड पर पेड झाड़ियां की बाढ लगा दी जाती है इससे शीत लहर द्वारा होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है यदि खेत के चारों ओर मेड पर पेडों की कतार लगाना संभव न हो तो कम से कम उत्तर पश्चिम दिशा में जरूर पेड की कतार लगानी चाहिए जो इस दिशा से आने वाली शीत लहर को रोकने का काम करेगी पेड की ऊंचाई के अनुसार ही शीत लहर से बचाव होता है एवं फसल सुरक्षित रहती है।